

कार्यालय संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा, अजमेर संभाग, अजमेर

स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति आदेश

निम्नांकित वरिष्ठ अध्यापक/समकक्ष ने उनके नाम के सम्मुख अंकित तिथि को नोटिस देकर राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1996 व संशोधित नियम 1999 के नियम 50(1) के अन्तर्गत 15 वर्ष की योग्य सेवा / 45 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर कालम संख्या 07 में अंकित तिथि से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति चाही है :-

क्र. स.	व. कर्मांक व वर्ष	नाम व. अ/समकक्ष	पद	विषय	पदस्थापन स्थान	जन्मतिथि	प्रथम नियुक्ति तिथि	नोटिस तिथि	स्वै. से. नि. तिथि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	246 / 12-13	NISHA SHARMA	Senior Teacher (II Gr.)	Hindi	GSSS DERANTHU BLOCK SRINAGAR TEH. NASIRABAD DIST. AJMER (08210310901)	24/01/1964	07-03-1988	17-04-2023	31-07-2023
2	16 / 95-96	SANTOSH SHARMA	Senior Teacher (II Gr.)	Hindi	MAHATMA GANDHI GOVT. SCHOOL AARJIYA (214806)	06/08/1966	20-02-1996	13-04-2023	01-08-2023
3	3341 / 2018	RAM RATAN SUTHAR	Senior Teacher (II Gr.)	Social Science	GOVT. UPPER PRIMARY SCHOOL NIMBAHEDA (469560)	10/08/1966	12-08-1988	18-04-2023	01-08-2023

उपर्युक्त कार्मिकों ने 15 वर्ष की योग्य सेवा / 45 वर्ष से अधिक की आयु पूर्ण कर ली है। अतः राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) संशोधित नियम 1999 के नियम 50 (1) के तहत की नोटिस अवधि समाप्ति पर कालम संख्या 10 में अंकित तिथि से राज्य सेवा से स्वैच्छिक सेवानिवृत्त किया जाता है।

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त कार्मिक के -

- 1- राजस्थान सिविल सेवाएँ (वर्गीकरण नियन्त्रण एवं अपील) नियम -1958 के नियम 16 व 17 के अन्तर्गत कोई विभागीय जॉच विचाराधीन / लम्बित नहीं है।
- 2- राजस्थान सिविल सेवाएँ (वर्गीकरण नियन्त्रण एवं अपील) नियम - 19 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन / लम्बित नहीं है।
- 3- कोई न्यायिक कार्यवाहीयां विचाराधीन / लम्बित नहीं है।

नोट :- संबंधित अधिकारी/कर्मचारी की वास्तविक स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति तिथि तक विपरीत परिस्थिति आने पर तत्काल इस कार्यालय को अवगत करावें अन्यथा ऐसी स्थिति में अधिकारी/संस्था प्रधान की स्वयं की जिम्मेदारी होगी।

(राजेन्द्र कुमार शर्मा)

संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा
अजमेर संभाग, अजमेर

दिनांक:-29.05.2023

क्रमांक:-संनि/स्कूल शि./अज/संस्था-3/फा-स्वै0/2023/3332

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1- निदेशक, माध्यमिक - शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
- 2- मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी / जिला शिक्षा अधिकारी, मुख्यालय माध्यमिक/प्रारम्भिक।
- 3- संबंधित संस्था प्रधान / कार्मिक
- 4- प्रभारी लेखा-2/संस्था-5/सामान्य-1 स्थानीय कार्यालय।
- 5- निर्देशन पत्रावली।

(शौकत अली देशवाली)

अति. जिला शिक्षा अधिकारी
कार्या. संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा
अजमेर संभाग, अजमेर

Signature valid

Digitally signed by Rajendra Kumar Sharma
Designation : Deputy Director
Date: 2023.05.29 13:43:55 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No. : 3926521

